

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:- 320/2021

दायर दिनांक:- 02.07.2021

जीसीएमएस नं. 2021/265
उत्तवान

मथुरी देवी पत्नि रामकिशोर जाति मीना निवासी हाल पाडला तहसील टोडाभीम
जिला करौली राजस्थान

—वादिया

बनाम

बद्री पुत्र नारायण जाति मीना निवासी खेडी घाटम तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान

—प्रतिवादीगण-03

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 320/21 मथुरी बनाम बद्री अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

